

कार्यालय नगर पंचायत रुद्रपुर, देवरिया

अल्प कालिक निविदा आमंत्रण - सूचना

राज्य वित्त आयोग/तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रुद्रपुर में कराये जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2014-15 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारों व एवं सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं दिनांक 20-03-2015 को 14.00 बजे तक मुहर बन्द निविदा/कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित निविदाओं/कोटेशनों जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखे गये निविदा/कोटेशन पेटिकाओं में दिनांक 20-03-2015 को 14.00 बजे तक प्राप्त किया जाये जिसे उसी दिन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा व अधोहस्ताक्षरी उपस्थित निविदा/कोटेशन दात के समक्ष 16.00 बजे खोला जायेगा। निविदा/कोटेशन प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 18-03-2015 को समय 10.30 बजे से 16 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय रुद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन०एस०सी०/के०वी०पी०/एफ०डी०आर० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रति कार्य हेतु अलग-अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करते हुए जमा अनिवार्य है। एक साथ जमानत मान्य नहीं होगा। निर्माण कार्य/आपूर्ति एवं जमानत धनराशि से सम्बन्धित बिस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत रुद्रपुर से कार्यालय समय एवं दिवस में की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदादाताओं को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन०एस०सी०/के०वी० पी०/एफ०डी० आर० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रति कार्य हेतु अलग-अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करते हुए जमा करना अनिवार्य है। एक साथ जमानत मान्य नहीं होगा।
3. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में दर प्रतिशत आधार पर भरे जायेंगे तथा निर्धारित समय तक निविदा/कोटेशन नगर पंचायत जिलाधिकारी कार्यालय में रखे गये निविदा/कोटेशन पेटिका में डालना होगा।
4. एक या समस्त निविदा/कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
5. आगणन में उल्लिखित आइटमों हेतु रेट अलग अलग नहीं भरे जायेंगे।
6. निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर निविदादाता/कोटेशनदाता का स्पष्ट हस्ताक्षर एवं पूरा पता व मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।
7. निविदा/कोटेशन स्वीकृति के पश्चात कार्यदेश/आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना व सामग्रियों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा, तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा बिलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु उल्लिखित आगणन की दरें लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित हैं उक्त आगणन में किसी प्रकार की भिन्नता/अन्तर की स्थिति में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित दरों पर ही आकलित किया जायेगा।
9. ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2014-15 हेतु अपने ठेकेदारी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह तक कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में बिलम्ब पर नियमानुसार अर्थ दण्ड देय होगा, एवं जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा/कोटेशन प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
14. निविदा में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
15. कार्य की विस्तृत जानकारी व अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत रुद्रपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. कार्य हेतु ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में व्यवधान,अभद्रता,दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।
17. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जमानत धनराशि नकद रूप में भी जमा की जा सकती है, परन्तु उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
18. जिन ठेकेदारों/फर्मों द्वारा नगर पंचायत रुद्रपुर में पूर्व में लिए गये कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया है वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
19. किसी भी कोटेशन के साथ अलग से वैट की धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी, शेष कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।
20. इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	10 प्रतिशत जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	लमुहा चौराहे से राज बल्लभ नाई के घर तक सी० सी० रिपेयर कार्य। पूर्वी तिवारी टोला वार्ड	2679000.00	267900.00	2700.00	दो माह
2.	बलराम यादव के मकान से पी० डब्ल्यू० डी० रोड बाईपास तक सी० सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य। लाला टोली वार्ड	3827800.00	382800.00	3900.00	दो माह
3	भोला प्रसाद के घर से चन्द्रकेश मिश्रा के घर तक सी० सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य। लाला टोली वार्ड	3731241.00	373200.00	3800.00	दो माह
4.	नन्दू साहु के मकान से पुराना चौक तक नाली एवं सी० सी० रोड निर्माण कार्य।	2650000.00	265000.00	2700.00	दो माह

